प्रा0पत्र / 09 / 2018

न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राज.सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

......प्रार्थी

बनाम

1–निखिल पुत्र राजेश जाति ब्राहम्ण निवासी बी–61 रनजीत नगर, भरतपुर
2–लेखराज जाटव निवासी ग्रांम धौरमुई
3–मालिक (अज्ञात) बजाज ऑटो टेम्पो संख्या आरजे 05 पीए 294

.......अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, सपठित द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थित :–

1–पैरोकार सरकार रसद
2–श्री रमनलाल मित्तल अभिभाषक, अप्रार्थी –1
3–श्री रविन्द्र फोजदार अभिभाषक अप्रार्थी –3

निर्णय **दिनांक 19.03.2025**

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट पेश किया गया है। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 05.11.18 को प्राप्त थाना कोतवाली भरतपुर की सूचना के आधार पर जिला रसद अधिकारी भरतपुर के निर्देशन में प्रवर्तन स्टाफ रनजीत नगर स्थित अग्रसेन स्कूल के पास मकान नम्बर बी–61 में पर पहुचे, मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर एक इलेक्ट्रोनिक कांटे पर उटा रखा पाया जो रेग्यूलेटर एवं नली के माध्यम से विघुत मोटर से जुडा था तथा विधुत मोटर से दूसरी नली एवं रेग्यूलेटर से एक हरे पीले रंग के बजाज कम्पनी के ऑटो टैम्पो आरजे. पीए 3294 की ईधन की टंकी से जुडा हुआ था, से घरेलू गैस सिलेण्डर से एलपीजी का स्थानान्तरण ऑटो में किया जा रहा था। घर में आर.ओ. प्लांट भी लगा हुआ था, कि जांच करने पर आर.ओ. प्लांट के कमरे में 10 घरेलू गैस सिलेण्डर, 02 मैटल के रेग्यूलेटर, 01 कैल्कुलेटर तथा एक हिसाब का रजिस्टर भी पाया गया। मौक पर उपस्थित दामोदर तथा करन नाम के व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि इंस मकान में निखिल नाम का व्यक्ति तथा उसका साथी लेखराज जाटव धौरमुई में रहते हैं। वरामद रजिस्टर में गैस सिलेण्डरों से अवैध रिफलिंग का हिसाब पाया गया। अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रुप से गैस टॉटो टैम्पों में भरते हैं, अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3,4,6 व 7 का उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 11 घरेलू गैस

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

सिलेण्डरों, एक इलैक्ट्रनिक कांटा, एकविधुत मोटर मय नली, तार व रेग्यूटर तथा ऑटो आरजे05 पीए 3294 को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो को नोटिस धारा 6बी ई0सी0 एक्ट रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अभिभाषक उपस्थित आये प्रार्थी संख्या 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं है। उपस्थित उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार रसद ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये जाहिर किया कि वक्त जॉच मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर से नली, विधुत मोटर से ऑटो टैम्पू में गैस की रिफिलिंग टॉटो टैम्पों करते हुये मिले हैं। जांच दल के देखते ही अप्रार्थी मौके से भाग गये। अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डरों से अवैध रुप से गैस टॉटो टैम्पों में रिफिलिंग करना एवं घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रुप से भण्डरान पाया जाना द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3,4,6 व 7 का उल्लंघन है। मौके पर जप्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डरों, एक इलैक्ट्रनिक कांटा, एक विधुत मोटर मय नली, तार व रेग्यूटर तथा ऑटो आरजे05 पीए 3294 को राजसात किये जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का कहना है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है और नाहीं हम थे। हमें गलत रुप से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थना पत्र धारा 6ए खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैरोकार सरकार रसद के कथनों पर गौर किया। अप्रार्थी द्वारा मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना एवं घरेलू गैस सिलेण्डरों से ऑटो टैम्पो में अवैध रुप से गैस रिफिलिंग करने में लिप्त पाया गया है। अप्रार्थी का यह कृत्य द्रवित पैट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3,4,6 व 7 का स्पष्ट उल्लंघन होने के कारण मौके पर जप्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डरों, एक इलैक्ट्रनिक कांटा, एक विधुत मोटर मय नली, तार व रेग्यूटर को राजसात किया जाना उचित पाते हैं। अस्तु प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किये जाने योग्य रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र धारा 6 ए ईसी एक्ट स्वीकार किया जाता है। मोके पर जप्त मौके पर जप्त 11 घरेलू गैस सिलेण्डरों, एक इलैक्ट्रनिक कांटा, एक विधुत मोटर मय नली, तार व रेग्यूटर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जप्त ऑटो आरजे05 पीए 3294 को पूर्व इस न्यायालय के आदेश दिनांक

......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

प्रा0पत्र / 09 / 2018
प्रवर्तन निरीक्षक रसद बनाम निखिल वगै0

19.12.18 से वाहन मालिक को सुपुर्दगी में दिया गया है को सुपुर्दगी से वागुजार किया जाता है। जप्त गैस सिलेण्डरों को सम्बन्धित कम्पनी में जमा कराने तथा खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग के पत्रांक 86 (23)खा0ले0 / 6 / 89 जयपुर दिनांक 20.10.2000 के परिप्रेक्ष्य में उक्त गैस कम्पनी / आयल कम्पनी गैस सिलेन्डरों से जो धन राशि प्राप्त होगी वह धन राशि कम्पनी द्वारा राजकोष में जमा कराई जावे। शेष जप्त सामान का नियानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)